(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2021-एकीकृतकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृतमाल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2017-एकीकृतकर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1311 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, -

(i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदितकिसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि:शुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखाखाद्य निर्मितियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए,दोनों जगहों पर जहां वे हैं,"माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फाइल संख्या. 190354/206/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1311 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।